

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पकरण संख्या :- 83/25-

तारीख दायर 8/4/25-

पुजा कुमारी पत्नि गणेश जाति भील उम्र वयस्क निवासी नोला जी का झोपड़ा (खडीपुर)
तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

—प्रार्थीया

बनाम

1- तेजमल पुत्र लख्खा जाति भील उम्र वयस्क निवासी नोला जी का झोपड़ा (खडीपुर)
तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

2- कालु पुत्र लख्खा जाति भील उम्र वयस्क निवासी नोला जी का झोपड़ा (खडीपुर)
तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

3- मेहराम पुत्र डूंगा जाति भील उम्र वयस्क निवासी मांगीलाल जी का झोपड़ा (खडीपुर)
तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

4- भु-स्वामी मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा
(राज0)

—विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 रा0ले0रे0 एक्ट

-- आदेश :-

दिनांक :- 4/8/25-

प्रार्थनापत्र प्रार्थीया पुजा कुमारी ने जरिये अभिभासक श्री सुनिल बाकलियाल प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भुमि मौजा ग्राम खडीपुर पटवार क्षेत्र सुखपुरा, मु-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र बिजौलियाँ खुर्द, तहसील बिजौलियाँ में स्थित खाता संख्या 87 आराजी नंबर 731 रकबा 0.4290 हैक्टेयर एवं आराजी नंबर 731/1 रकबा 0.0162 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.4452 हैक्टेयर मुमि स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया मौजा ग्राम खडीपुर पटवार क्षेत्र सुखपुरा, मु-अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र बिजौलियाँ खुर्द, तहसील बिजौलियाँ में स्थित खाता संख्या 87 आराजी नंबर 731 रकबा 0.4290 हैक्टेयर एवं आराजी नंबर 731/1 रकबा 0.0162 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.4452 हैक्टेयर भुमि की बाशामालात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोश में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 83/25

तारीख दायर 8/4/25

प्रेषित :-
तहसीलदार
बिजौलियाँ

फैसल :- 4/8/25

विषय :- प्रकरण संख्या 83/25 पत्थरगढी वाबत।

पुजा कुमारी पत्नि गणेश जाति भील उम्र वयस्क निवासी नोला जी का झोपड़ा (खडीपुर)
तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

—प्रार्थीया

बनाम

- 1- तेजमल पुत्र लख्खा जाति भील उम्र वयस्क निवासी नोला जी का झोपड़ा (खडीपुर)
तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 2- कालु पुत्र लख्खा जाति भील उम्र वयस्क निवासी नोला जी का झोपड़ा (खडीपुर)
तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 3- मेहराम पुत्र डूंगा जाति भील उम्र वयस्क निवासी मांगीलाल जी का झोपड़ा (खडीपुर)
तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 4- भु-स्वामी मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलियाँ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा
(राज0)

—विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम खडीपुर पटवार क्षेत्र सुखपुरा, भु-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बिजौलियाँ खुर्द, तहसील बिजौलियाँ में स्थित खाता संख्या 87 आराजी नंबर 731 रकबा 0.4290 हैक्टेयर एवं आराजी नंबर 731/1 रकबा 0.0162 हैक्टेयर कुल किता 02 रकबा 0.4452 हैक्टेयर भूमि की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलियाँ खुर्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस नियमानुसार वक्त मौके पर प्रार्थीया अदा करेंगा। पत्थरगढी करने से पूर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ